पत्रक

(नियम 13)

{General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ

पीठासीन अधिकारी– दमयंती कंवर आर.ए.एस.

राजेन्द्र सिंह पुत्र गुमान सिंह जाति राजपूत निवासी चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।	–बनाम–	क्षैत्रीय वन अधिकारी कार्यालय वन विभाग नवलगढ़ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
किस्म मुकदमा –प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा।		मु.नं. 85 /2021 GCMS No

आदेश	कार्यवाही विवरण	पालना के क्रमांक व दिनांक
9.1.21	माननीय राजस्थान सरकार के आदेशानुसार कोरोना एडवाईजरी जारी होने के फलस्वरूप न्यायालय कार्य स्थिगित होने पर पत्रावली आज तारीख पेशी पर पेश हुई। पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के साथ प्रस्तुत मूल वाद–पत्र में क्षैत्राधिकार के बिन्दु पर सुनवाई कर मूल वाद–पत्र को वादी को लौटाये जाने के आदेश दिये गये है। इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में पृथक से कोई आदेश दिया जाना अपेक्षित नही है। अतः मूल प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय दस्तावेज लौटाये जाने का आदेश राजस्व लिपिक को दिया जाता है कि वह निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर मूल प्रार्थना पत्र व असल दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत होने पर मूल प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदक को लौटाया जावे। पत्रावली में और कोई कार्यवाही होना अपेक्षित नही है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। दमयंती कंवर (R.A.S.) ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 12:03:19 IST
Reason: SelfAttested